बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग
::आदेश::

सं0सं0–9/आ०–03–60/2024(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

डॉ० सुषमा आलोक, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध मुजफ्फरपुर जिला अन्तर्गत मिठनपुरा थाना काण्ड सं०–128/2024 दिनांक–22.04.2024 में दुष्कर्म की पीडिता का शारीरिक जॉच में अतिशय विलम्ब करने, दिनांक–23.04.2024 को अपराह्न 1.30 के उपरान्त शारीरिक जाँच नहीं करने के आरोप में विभागीय अधिसूचना सं०–747(9) दिनांक–10.07.2025 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की गयी।

2. डॉ० आलोक के द्वारा उक्त अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति के विरूद्ध दिनांक–29.07.2025 को पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित कर अभ्यावेदन में अंकित किया गया कि डॉ० रश्मि रेखा की तबयीत खराब होने के कारण उनके स्थान पर आपसी सहमति से डॉ० आलोक के द्वारा सुबह 09:17 बजे से 02:00 बजे तक आकस्मिक कक्ष में कर्त्तव्य का निर्वहन करते हुए मरीज का उपचार किया गया। पुलिस द्वारा पीडिता को डॉ० आलोक के समक्ष 01:57 बजे अपराह्न में शारीरिक जॉच हेतु लाया गया। डॉ० आलोक द्वारा अगले पाली में आने वाली चिकित्सक से जाँच कराने का अनुरोध की गयी। अधीक्षक के निदेश पर अगले पाली के चिकित्सक डॉ० मोनिका जायसवाल द्वारा पीडिता का जॉच करने से इनकार किया गया। पीडिता के साथ दिनांक–19.04.2024 को घटना घटित हुई थी। चार दिन के बाद शारीरिक जॉच हेतु लाने से चिकित्सीय साक्ष्य प्रभावित होगी। अंततः अधीक्षक के निदेश पर दिनांक–23.04.2024 को संध्या 05:30 बजें डॉ० आलोक द्वारा पीड़िता का शारीरिक जाँच की गयी। डॉ० आलोक के द्वारा उक्त अधिसूचित दण्ड को क्षान्त करने हेतु पुनर्विचार अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

3. डॉ० आलोक के द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन की सम्यक् समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि डॉ० आलोक द्वारा दुष्कर्म पीडिता की शारीरिक जाँच करने में प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, जो इनके द्वारा नहीं दी गयी। अर्थात डॉ० आलोक द्वारा अपने पदीय दायित्व का निर्वहन ससमय नहीं किया गया। डॉ० आलोक द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन में कोई ऐसा नया तथ्य अंकित नहीं किया गया है और न ही कोई नया साक्ष्य/अभिलेख उपलब्ध करायी गयी, जो सुविचारित प्रदत शास्ति को क्षान्त करता हो। फलतः डॉ० आलोक द्वारा समर्पित पुनर्विचार अभ्यावेदन को नये तथ्यों/साक्ष्यों के अभाव में अस्वीकृत करने का विनिश्चय किया गया है।

4. अतएव अधिसूचना सं०–747(9) दिनांक–10.07.2025 द्वारा संचयी प्रभाव के बिना 02 (दो) वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक करने की अधिरोपित एवं संसूचित शास्ति को यथावत रखते हुए डॉ० सुषमा आलोक, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर के पुनर्विचार अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

5. उपुर्यक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(उपेन्द्र राम)
सरकार के अवर सचिव
23/12/2025

(15)

ज्ञापांकः–9/आ०–03–60/2024(स्वा0) ..... /पटना, दिनांकः–.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, (ले0 एव हक0) बिहार पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–9/आ०–03–60/2024(स्वा0) 1293(9) /पटना, दिनांकः–23.12.25

प्रतिलिपिः–क्षेत्रीय अपर–निदेशक, स्वास्थ्य सेवाऐं तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/सिविल सर्जन, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–माननीय स्वास्थ्य मंत्री के आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य विभाग, के प्रधान आप्त सचिव/सभी पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/सभी निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाऐं, बिहार पटना/प्रभारी प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–2, 3, 7, 8, 17 एवं 18A स्थापना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–डॉ० सुषमा आलोक, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः–आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

23/12/2025
सरकार के अवर सचिव।